

पत्र संख्या-बजट-38-193-अनाच्छादित-व्या०दु०बी०यो०(2025-26)/

78L/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक :: 10 मार्च, 2026

अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,
कानपुर जोन-2 कानपुर।

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-3116 दिनांक 23.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा स्व० श्री राजेश जायसवाल फर्मस्वामी सर्वश्री शिवम बियरिंग सेन्टर, कानपुर जिनकी दिनांक 22.07.2025 को मृत्यु हो गयी थी, का बीमा दावा प्रकरण निस्तारण किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रेषित समिति रिपोर्ट को केवल अग्रसारित किया गया है, जबकि समिति रिपोर्ट में प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जानी चाहिए थी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में प्रेषित किये जाने की संस्तुति किये जाने के सम्बन्ध में समिति रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का ससमय निस्तारण किया जा सके।

उक्त पत्र आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(अशोक कुमार सिंह)

अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1- संयुक्त आयुक्त(कार्य०), राज्य कर, कानपुर सम्भाग-सी कानपुर।

✓ 2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

200749

श्रीमती पूरुषोत्तमा
कृपया आवश्यक कार्रवाई कर लें।

सप्रेम (आई०टी०) राज्य कर,

दिनांक 10-03-26

अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।